Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 9 | ISSUE : 3 | SPECIAL ISSUE MARCH-2023

दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों के श्रुतिलेखक की समस्या का अध्ययन

मनोज माथुर	शोधार्थी (शिक्षा), कला शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर
डॉ॰ प्रार्थना फोफलिया	शोध–पयवक्षिका, कला शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर

ABSTRACT:

दृष्टि–बाधित विद्यार्थियों की दैनिक दिनचर्या में कई प्रकार की समस्याएँ आती है। दृष्टि–बाधित विद्यार्थियों के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते है जब वे सामान्य विद्यार्थियों से अलग अनुभव के कारण उन घटनाओं को महसूस करते है। वर्षा आने की सूचना उन्हे पानी के गिरने को आवाज और गिली मिट्टी की खुशबू से प्राप्त होती है। आग लगने की सूचना गर्मा–आहट से अनुभव करते है। दृष्टि बाधित विद्यार्थी दृष्टि बाधित सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा अध्ययन कर जब परीक्षा का सामना करते है तब इनके सामने श्रुतिलेखक की उपलब्धता की समस्या आती है। परीक्षा के दौरान मानसिक संतुलन के साथ योग्य श्रुतिलेखक उपलब्ध होना, वास्तव में एक बडी चुनौती होती है। परीक्षा के दौरान एक ओर तो पाठ्यक्रम पूर्ण करने की चिन्ता तो दूसरी और श्रुतिलेखक की समय पर उपलब्धता की चिन्ता।

परीक्षा क दौरान योग्य, श्रुतिलेखक का चयन कर उसकी समय पर उपलब्धता सम्बन्धी तनाव सदैव बना रहता है। कभी–कभी तो एनवक्त पर ज्ञात होता है कि चयनित होने पर भी श्रुतिलेखक आज परीक्षा भवन में समय पर उपलब्ध होने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में उसके विकल्प का चयन कर परीक्षा भवन में समय पर उसकी उपलब्धता करना काफी चुनौती वाला कार्य होता है। इस अवस्था में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का मानसिक सतुंलन बिगड जाता है, जिसके फलस्वरूप वे सही प्रकार के प्रश्न पत्र को हल नही कर पाते है।

इस शोध में शोधकर्ता ने दृष्टि–बाधित विद्यार्थियों के श्रुतिलेखक की समस्या का अध्ययन किया है।

KEYWORDS:

दृष्टि बाधित, श्रुतिलेखक, परीक्षार्थी, उपलब्धता, श्रुतिलेखक सम्बन्धी नियम

सभी माता–पिताओं का यह मानना है कि हमारे बच्चे सदैव शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उच्चतम अवस्था प्राप्त करें। इस कार्य के लिए सभी माता–पिता अपना पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ पूर्ण करते हैं। सामान्य दृष्टिकोण वाले बच्चे तो काफी हद तक सफलता प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु दृष्टिबाधिक बच्चों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दृष्टिबाधिता की स्थिति का पता लगने पर माता–पिता एक एक तो मानसिक दृष्टि से लगभग टूट से जाते हैं। मानसिक दृष्टि से टूट चुके माता–पिता के सामने अपने बच्चों को पालना और उन्हें उचित शिक्षा दिलाना एक चुनौती बनकर आता ळें

इस मनोस्थिति में ईश्वर को याद करके वे सबसे पहले उनका उचित लालन पालन करना और बाद में उचित संस्कार देकर उचित शिक्षा की व्यवस्था करना। दृष्टि–बाधित विद्यालयों की कमी के कारण माता–पिता को सामान्य बच्चों के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाया जाता है। जब दृष्टि बाधित बच्चे अपनी दैनिक दिनचर्या स्वयं करने लगते हैं, तब माता–पिता उन्हें उच्च शिक्षा हेतु शहरों में उपलब्ध नेत्रहीन शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश दिलाते हैं। इन संस्थाओं में रहकर दृष्टि बाधित विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं।

नेत्रहीन शैक्षिक संस्थाओं शिक्षा के लिए नवीनतम तकनीकी युक्त संसाधन उपयोग में लिए जाते हैं। इस प्रकार के संस्थाओं में शैक्षिक शिक्षा के साथ–साथ व्यवसायिक ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। जब पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाता है तब उसके मूल्यांकन के लए परीक्षा का सामना करना पड़ता है। जब दृष्टि–बाधित विद्यार्थी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा कक्ष में उपस्थित होता है तो सबसे पहले उसे एक श्रुतिलेखक की जरूरत होती है, जो परीक्षा कक्ष में उपस्थित होकर परीक्षा के प्रश्न पत्र को श्रुतिलेखक को पढ़कर सुनाता है, तत्पश्चात् दृष्टि–बाधित विद्यार्थी उन प्रश्नों के संभावित उत्तरों को अपने शब्दों में श्रुतिलेखक को सुनाता है। श्रुतिलेखक दृष्टि–बाधित विद्यार्थी के द्वारा बोले गये वाक्यों को उत्तर पुस्तिका में लिखता है।

दुष्टिबाधित विद्यार्थी जब परीक्षार्थी बनता है तो श्रुतिलेखक की समय पर उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती बनकर उसके सामने प्रस्तुत होती है। प्रतिदिन परीक्षा विभाग चक्र अनुसार श्रुतिलेखक की उपलब्धता की चिन्ता उसकी मानसिक स्थिति को हिलाकर रख देती है। कभी–कभी तो परीक्षा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बजाय उचित श्रुतिलेखक की उचित समय पर उपलब्धता की चिन्ता उसके मानसिक सन्तुलन को विचलित कर देती है।

दृष्टि–बाधित अथवा दृष्टिहीनता के अमेरिकन फाउण्डेशन फॉर ब्लाइंड (ए.एस.बी. 1961), एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन (1997) और चिकित्सकीय परिभाषा के अनुसार जिसकी दृष्टि क्षीणता यदि समुचित सुधारों के बावजूद 20/200 फीट या 6/60 मीटर तक रह जाती है, वह दृष्टि–बाधित समझा जाता है। सामान्य आँख से 20 फीट की दूरी तक ही देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की सामान्य परीक्षाएँ, प्रतियोगिताएँ वाली परीक्षाओं में अनेको सुविधाजनक छूट प्रदान की जाती है। पूर्ण जानकारियों के अभाव में दृष्टि–बाधित परीक्षार्थी उन सुविधाओं को उचित उपयोग नहीं कर पाता है।

शोध समस्या का चयन –

दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों के सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन करने से शोधकर्ता को वास्तविक स्थिति का पता चला। वर्तमान समय की अत्यधिक मांग महसूस की गई कि दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों को किन–किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुवे शोधकर्ता ने परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण कर परीक्षा समय अवधि के दौरान दृष्टि–बाधित परीक्षार्थी का अवलोकन कर यह महसूस किया कि श्रुतिलेखक की समस्या किस हद तक उन्हें झकझोरती है। इसी को ध्यान में रखकर शोधकर्ता ने **"दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियो के श्रुतिलेखक की समस्या का अध्ययन"** शोधसमस्या का चयन किया।

शोध के उद्देश्य –

शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध में **"दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों के श्रुतिलेखक की समस्या का अध्ययन"** करना उद्देश्य का निर्धारण किया।

शोध अध्ययन क्षेत्र–

शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध में जोधपुर स्थित नेत्रहीन विकास संस्थान, कमला नेहरु नगर, जोधपुर में रह रहे दृष्टि–बाधित विद्यार्थियों/परीक्षार्थियों का चयन किया गया। यह विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं।

शोध अध्ययन विधि –

शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध में साक्षात्कार, अवलोकन विधि का उपयोग कर शोधकार्य को सुचारु गति प्रदान कर सूचनाएँ एकत्रित की।

आंकड़े एकत्रित करने के स्रोत –

शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध में परीक्षा कक्ष में अवलोकन के बाद प्रत्यक्ष रूप से दृष्टि–बाधित विद्यार्थियों/परीक्षार्थियों से रूबरू होकर अपने व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा प्रश्नावली का निर्माण कर उनका साक्षात्कार कर सूचनाएँ एवं उनके अनुभव ज्ञात किये।

शोधकर्ता ने प्राथमिक स्रोतों में उनसे साक्षात्कार द्वारा, समूह चर्चा, अवलोकन कर अनुभवों के द्वारा विभिन्न सूचनाएँ प्राप्त की।

शोधकर्ता ने विभिन्न परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्ध नियमों की जानकारी प्राप्त की। शोधकर्ता ने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर उपस्थित होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों की मनोस्थिति की जानकारी प्राप्त की।

शोधकर्ता ने विभिन्न श्रुतिलेखकों से साक्षात्कार कर उनके प्रत्यक्ष अनुभवों की जानकारी प्राप्त की।

उपयोग में ली गई प्रश्नावली –

शोधकर्ता ने लगभग 80 दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों से इस प्रश्नावली को पूर्ण करवाया। शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित प्रश्नावली का उपयोग किया जिसका परिणाम निम्न प्रकार रहा –

क्र.सं.	प्रश्नों का विवरण	दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों की प्रतिक्रिया			प्रतिशत
		हाँ	नहीं	आवर्ती	
1	सभी बोर्ड/विश्वविद्यालयों में निर्धारित नियमों की जानकारी है।	80	-	80	100
2	परीक्षा केन्द्र द्वारा श्रुतिलेखक उपलब्ध करवाया जाता है।	-	80	80	100
3.	परीक्षा में श्रुतिलेखक की उपलब्धता स्वयं करनी पड़ती है।	80	-	80	100
4.	श्रुतिलेखक की समय पर उपस्थित होने का तनाव रहता है।	80	-	80	100
5.	श्रुतिलेखक के कारण परीक्षा परिणाम पर असर पड़ता है	80	-	80	100

विश्लेषणात्मक विवरण –

शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध के लिए प्रश्नावली का उपयोग कर दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों से वार्ता कर उनके विचार प्राप्त किये। शोधकर्ता ने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर जाकर दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों की परीक्षा भवन में मनोस्थिति का अवलोकन किया। इस मनोस्थिति में प्रश्नों को हल करवाना वास्तव में बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रस्तुत शोध के द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किये–

1. सभी दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों को सभी बोर्ड और विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों के श्रुतिलेखक सम्बन्धी नियमों की पूर्ण जानकारी प्राप्त है।
2. किसी भी परीक्षा में किसी भी दृष्टि–बाधित परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा केन्द्र द्वारा श्रुतिलेखक उपलब्ध नहीं करवाया जाता है।
3. सभी प्रकार की परीक्षाओं में दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों को श्रुतिलेखक की उपलब्धता स्वयं को निश्चित करनी पड़ती है। परीक्षा पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार केन्द्राधीक्षक से श्रुतिलेखक बैाने की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करन के लिए कई चक्कर काटने पड़ते हैं।
4. सभी परीक्षार्थियों में श्रुतिलेखक की समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होने का तनाव सदैव बना रहता है। दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बजाय, यह चिन्ता रहती है कि चयनित श्रुतिलेखक समय पर उपलब्ध होगा कि नहीं।
5. दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों को श्रुतिलेखक उपलब्धता सम्बन्धी तनाव के कारण उनके परीक्षा परिणाम पर असर पड़ता है।

दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रयास –

दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों के लिए कई बोर्ड/विश्वविद्यालय ने यथासंभव मदद करने की कोशिश की है। कई बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों ने निर्धारित नियमों में आंशिक संशोधन कर उन्हें राहत देने की कोशिश की।

शोधकर्ता के सुझाव –

1. सभी बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रवेश पत्र पर स्पष्ट नियम अंकित होने चाहिए।
2. सभी नियमों की स्पष्ट जानकारी दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
3. सभी परीक्षाओं में केन्द्राधीक्षक द्वारा परीक्षा केन्द्र पर ही श्रुतिलेखक उपलब्ध करवाना चाहिए।
4. सभी दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों की परीक्षा समय अवधि में मनोवैज्ञानिक शिक्षक द्वारा काउंसलिंग करवानी चाहिए।

REFERENCES

1. डॉ॰ सुदीप कुमार दुबे – नेत्रहीन विद्यार्थियों के आवागमन की समस्याएँ।
2. आनन्द दईया – विकलांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में होने वाली समस्याओं का समीक्षात्मक अध्ययन।
3. वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय – दृष्टि–बाधित व्यक्तियों की सामाजिक समस्याओं एवं उनके कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का अध्ययन।
4. विभिन्न विश्वविद्यालयों के परीक्षा सम्बन्धित नियम।
5. विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सम्बन्धित नियम।